



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बेतिया

Ph :- 06254-240504, Mob.:-9470001289

Email :- eebettiah321@gmail.com


अल्पकालीन निलामी सूचना

पथ प्रमण्डल, बेतिया के अधीन बगहा के पास NH 28B के बगल में अवस्थित अवसानी गाँव में अवस्थित भू-खण्ड में Scraped Material जिसकी मात्रा 185.50m³ है, का खुला निलामी में भाग लेने हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेतिया के कार्यालय परिसर में दिनांक-08.04.17 को निम्नवत् शर्तों के अधीन निलामी बोलीकर्ता को आमंत्रित की जाती है। उक्त तिथि को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे दोपहर तक उक्त निलामी हेतु वांछित जमानत की राशि प्राप्त किया जायेगा तथा उसके पश्चात् 12:30 दोपहर में निलामी की बोली लगवाई जायेगी।

1. Scraped Material की निलामी संबंधी विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।
2. निलामी में भाग लेने के पूर्व Scraped Material की स्थिति से उक्त स्थल पर जाकर संतुष्ट हो लेंगे। निलामी के बाद कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।
3. निलामी सरकारी नियमानुसार होगी।
4. उक्त निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक बोलीकर्ता/सम्बेदकों/फार्मों को उक्त निलामी हेतु जमानत की राशि, जमानत के रूप में विधिवत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निलामी की उक्त तिथि को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे दोपहर तक जमा करना होगा।
5. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमानत की राशि संबंधी बैंक ड्राफ्ट के साथ पैन कार्ड, टैन नं० कागजात की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निलामी बोलीकर्ता को जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगा, जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिष्ठित रहेगा।
7. यह निलामी उच्चतम डाक बोलने वाले को दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम डाक की राशि से कम की डाक बोली स्वीकार नहीं होगी।
8. सफलीभूत व्यक्ति/फर्म के जमानत की राशि को निलामी की राशि के रूप में जमा कर लिया जाएगा तथा अन्य डाक बोली कर्ता/फर्म का जमानत के रूप में जमा राशि वांछित प्रक्रिया के उपरान्त लौटा दी जायेगी।
9. सफलीभूत व्यक्ति/फर्म को शेष डाक बोली की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो वांछित प्रक्रिया के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।

10. निलामी के पश्चात् निर्गत कार्यादेश के पश्चात् "Scraped Material" को स्थल से "एक सप्ताह" के अन्दर हटा लेना होगा, अन्यथा विलम्ब होने की स्थिति में प्रत्येक दिन रुपये 500/- (पाँच सौ) मात्र की दर से दण्ड वसूल किया जाएगा।
11. उक्त सामग्री को स्थल से हटाकर ले जाने हेतु किसी प्रकार की मजदूरी एवं सामग्री दुलाई देय नहीं होगा।
12. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
13. निलामी के संबंध में यदि उच्चाधिकारी द्वारा कोई निदेश जारी होता है, तो वह डाक लेने वाले को मान्य होगा।
14. किसी सूचना/शिकायत के लिए विभागीय Helpline 18003456161 नंबर का कृपया उपयोग करें।
15. निलामी की विवरणी :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	निलामी की तिथि एवं समय	निलामी की न्यूनतम राशि	जमानत की राशि	निलामी का स्थान
1.	पश्चिम चम्पारण के बगहा के पास NH 28B के बगल में अवस्थित अवसानी गाँव के एक भूखण्ड में खुले स्थान में रखे गये Scraped Material (Qty. 185.50m ³) की निलामी कार्य, वर्ष 2016-17	दिनांक 08.04.17 : समय 12:30 बजे अपराह्न	79,772.00	50,000/-	पथ प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, बेतिया का कार्यालय परिसर।


 कार्यपालक अभियंता,
 पथ निर्माण विभाग,
 पथ प्रमंडल, बेतिया